बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसंo–9 / आo–05–04 / 2024(स्वाo) .... / पटना, दिनांकः–........................

सिविल सर्जन, गोपालगंज के पत्रांक–14 दिनांक–03.01.2023 द्वारा डाo पंकज कुमार मित्रा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथुआ, गोपालगंज के विरूद्ध दिनांक–10.01.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. विभागीय संकल्प संo–317(9) दिनांक–31.03.2023 द्वारा डाo मित्रा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–474(9) दिनाक–28.06.2024 द्वारा डाo मित्रा से द्वितीय कारण पृच्छा की मॉग की गयी।

3. डाo मित्रा द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया है कि विभागीय आदेश के अनुपालन में उनके द्वारा दिनाक–10.09.2021 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथुआ, गोपालगंज का प्रभार ग्रहण किया गया। वे नियमित रूप से दिनाक–09.01.2022 तक कर्त्तव्य पर उपस्थित रहे। वे दिनाक–10.01.2022 से acute fulminant hepatitis रोग से ग्रसित होने के कारण दिनांक–05.05.2022 तक कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहें। इस अवधि में डाo मित्रा NMCH Patna मे इलाजरत रहें है। विभागीय आदेश संo–48(3) दिनांक–08.02.2022 द्वारा डाo मित्रा को NEET PG 2021 में चयन उपरांत नामांकन लेने हेतु NOC प्रदान की गयी। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि विभागीय सकल्प स०–317(9) दिनांक–31.03.2023 के माध्यम से गठित आरोप के संदर्भ में डाo मित्रा के द्वारा अपना प्रत्युत्तर संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया था कि किसी भी तहत की कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का कारण, परिस्थितिजन्य था।

4. अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त डाo पकज कुमार मित्रा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथुआ, गोपालगज के विरूद्ध दिनांक–10.01.2022 से 05.05.2022 तक के कर्त्तव्य पर अनुपस्थिति की अवधि के लिए समर्पित बचाव बयान में प्रस्तुत चिकित्सीय पर्ची के आधार पर, उनके विरूद्ध गठित आरोप को संचिकास्त करने का विनिश्चय किया गया है।

5. अतः डाo पंकज कुमार मित्रा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथुआ, गोपालगंज के विरूद्ध दिनांक–10.01.2022 से 05.05.2022 तक के कर्त्तव्य पर अनुपस्थिति की अवधि के लिए समर्पित बचाव बयान में प्रस्तुत चिकित्सीय पर्ची के आधार पर, उनके विरूद्ध गठित आरोप को संचिकास्त किया जाता है।

6. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

(15)

ज्ञापांकः–9/आ0–05–04/2024(स्वा0) 325(9) / **पटना, दिनांकः–** 02.04.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, सारण प्रमंडल, छपरा/सिविल सर्जन, गोपालगंज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 पंकज कुमार मित्रा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथुआ, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एव 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र
02/04/2025
सरकार के अवर सचिव।